राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी (पाली)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद प्रकरण संख्या :– 34/2020
निर्णय दिनांक :– 25.01.2021

वादी :–

हिरालाल पुत्र मुलाराम चौधरी आयु–53 वर्ष जाति–सिरवी चौधरी निवासी–नाडोल तहसील–देसूरी जिला–पाली

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. हकाराम उर्फ हकाराम एम चौधरी पुत्र स्व. मुलाराम आयु–73 वर्ष
2. शेषाराम पुत्र मुलाराम चौधरी आयु–53 वर्ष
   जातिगण–सिरवी चौधरी निवासीगण–नाडोल तहसील–देसूरी जिला–पाली
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देसूरी

वाद अन्तर्गत धारा 53, 89, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति:–

1. श्री दिनेश कुमार माली अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. श्री पुखराज चौधरी प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 की ओर से।

निर्णय (अन्तिम डिक्री) **दिनांक :– 25.01.2021**

वाद के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद अन्तर्गत धारा 89, 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम नाडोल चक–1 तहसील–देसूरी की जमाबन्दी 849 संवत् 2073–76 के खसरा नम्बर 1107 क्षेत्रफल 0.9800 हैक्टर बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1115 क्षेत्रफल 03.5400 हैक्टर बारानी अव्वल कुल खसरा नम्बर 02 कुल क्षेत्रफल 04.5200 हैक्टर कुल देय लगान 31.64 रूपये की आराजी में से 2/3 हिस्से को जरिये पंजीबद्ध बख्शिश विलेख दिनांक 23.06.2020 और 24.06.2[illegible] [illegible] हिरालाल, शेषाराम में पक्ष में निष्पादित कर, बख्शिश करने से [illegible] बराबर बराबर के खातेदारी हक अधिकार विद्यमान है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.13 18:42:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी

पेज लगातार 02 पर...

(2) राजस्व वाद मु0सं0– 34/2020 वादीग हिरालालव अन्य बनाम प्रतिवादीगण हकाराम व अन्य धारा–53, 89, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलेक्टर, देसूरी.

यह है कि वाद पद संख्या एक में वर्णित आराजी में प्रतिवादी संख्या एक को सयुक्त 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या दो को 1/3 हिस्सा के खातेदारी हक अधिकार निहित है। वादग्रस्त आराजी का वादी और प्रतिवादी के मध्य में आपसी सहमति से मौके पर विभाजन किया जाकर अलग–अलग कब्जा प्राप्त कर माफिक विभाजन सहमति से बंटवाडा निम्नानुसार किया गया–

क्र. स.	पक्षकार	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	किस्म
1	वादी हिरालाल	1115/1	1.4700	बा.अ.
2	प्रतिवादी हकाराम	1115/2	1.4800	बा.अ
3	प्रतिवादी शेषाराम	1107 1115/3	0.9800 0.5000	बा.अ.
4	वादी हीरालाल प्रतिवादी हकाराम, शेषाराम	1115	0.0900	बा.अ.

उपरोक्त अनुसार किये गये बंटवाडा और नक्शा की प्रतिलिपी पेश है। दिनांक 06.07.2020 को वादग्रस्त आराजी का किया गया विभाजन को स्वीकृत कराने और भू–अधिकार अभिलेखों में इन्द्राज कराने हेतु प्रतिवादी को बार बार निवेदन करने पर भी एक साथ तहसीलदार देसूरी के समक्ष उपस्थित नही हो रहे है जिससे वादी विभाजन का वाद प्रस्तुत करने के अतिरिक्त विकल्प नही होने से वादग्रस्त आराजी के बंटवाडा बाबत यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया है।

प्रकरण हाजा में दिनांक 04.09.2020 को न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जाकर प्राथमिक डिक्री इस आशा की जारी की गई कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा सरहद गांव नाडोल चक–1 तहसील–देसूरी की जमाबन्दी खाता नम्बर 849 सवत् 2073–2076 के खसरा नम्बर 1107 क्षेत्रफल 1107 क्षेत्रफल 0.9800 हैक्टर बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1115 क्षेत्रफल 03.5400 हैक्टर बारानी अव्वल कुल खसरा नम्बर संख्या 2 कुल रकबा 04.5200 हैक्टर कुल देय लगान 31.64 रूपये का वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य दिनांक 06.07.2020 को हुए सहमति के अनुसार वादी को 1/3, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/3 व प्रतिवादी संख्या 2 को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर बंटवाडा किये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार देसूरी को सहमति बंटवाडा दिनांक 06.07.2020 मय नक्शा की प्रति भेजकर आदेशित किया जाता है कि उक्त वादग्रस्त आराजी का वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य सहमति से हुए बंटवाडा के अनुसार बंटवाडा प्रस्ताव मय नक्शा के इस न्यायालय में दो प्रतियों में भिजवावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.13 18:42:32 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 03 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

तहसीलदारजी, देसूरी पत्राक/राजस्व/20/57 दिनांक 18.01.2020 के द्वारा प्रस्तावित बंटवाडा प्रस्ताव रिर्पोट मय नक्शा के प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई। बंटवाडा प्रस्ताव के संबंध मे पक्षकारान की तरफ से कोई आपत्ति एतराज प्रस्तुत नही हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बंटवाडा प्रस्ताव रिर्पोट का अवलोकन किया। माफीक बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार वाद अंतिम डिक्री योग्य है।

आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी मौजा नाडोल–1 तहसील–देसूरी की जमाबन्दी 849 संवत् 2073–76 के खसरा नम्बर 1107 क्षेत्रफल 0.9800 हैक्टर बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1115 क्षेत्रफल 03.5400 हैक्टर बारानी अव्वल कुल खसरा नम्बर 02 कुल क्षेत्रफल 04.5200 हैक्टर कुल देय लगान 31.64 रूपये वादी को 1/3 हिस्से, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/3 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 2 को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर माफीक तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत बटवाडा प्रस्ताव व उसके सलंग्न नक्शानुसार वाद में अन्तिम डिक्री निम्न प्रकार सादिर की जाती है:–

क्र. स.	पक्षकार	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हैक्टर)	लगान	किस्म
1	वादी हिरालाल पुत्र मूलाराम सिरवी चौधरी सा. देह खातेदार	1115/1	1.4700	10.29	बा.अ.
2	प्रतिवादी हकाराम पुत्र मूलाराम सिरवी चौधरी सा. देह खातेदार	1115/2	1.4800	10.36	बा.अ
3	प्रतिवादी शेषाराम पुत्र मूलाराम सिरवी चौधरी सा. देह खातेदार	1107 1115/3	0.9800 0.5000	6.86 3.50	बा.अ.
	कुल	2	1.4800 है	10.36	बा.अ
4	वादी हीरालाल 1/3 हिस्सा प्रतिवादी हकाराम 1/3 हिस्सा, शेषाराम 1/3 हिस्सा, सा.देह खातेदार	1115	0.0900	0.63	बा.अ.

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.13 18:42:32 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद एवं नक्शों में तरमीम किया जावें। । तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय खसरा नक्शा इस निर्णय एवं डिक्री का भाग माना जावें। कुल लगान राशि 10.29 रूपये का पांच गुना पर देय मुद्रांक के

पेज लगातार 04 पर...

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) पाली

...(4) राजस्व वाद मु0सं0– 34/2020 वादीग हिरालालव अन्य बनाम प्रतिवादीगण हकाराम व अन्य ...धारा–53, 89, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलेक्टर, देसूरी.

...और रूपयें 51.3/– के नोन ज्यूडिश्यल स्टाम्प वादी पेश करें। अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो। रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु निर्णय एवं अंतिम डिक्री पर्चा की एक प्रति तहसीलदार देसूरी को पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली फेसल शुमार होकर संख्या से कम हों।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
देसूरी
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक 25.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
देसूरी
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.13 18:42:32 IST
Reason: SelfAttested

वाद में फाईनल डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी देसूरी (पाली)

इजलास श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत आर ए एस

वादीगण	**ब ना म** **प्रतिवादीगण**
हिरालाल पुत्र मुलाराम चौधरी आयु–53 वर्ष जाति–सिरवी चौधरी निवासी–नाडोल तहसील–देसूरी जिला–पाली	1. हकाराम उर्फ हकाराम एम चौधरी पुत्र स्व. मुलाराम आयु–73 वर्ष 2. शेषाराम पुत्र मुलाराम चौधरी आयु–53 वर्ष जातिगण–सिरवी चौधरी निवासीगण–नाडोल तहसील–देसूरी जिला–पाली 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देसूरी

दावा बाबत 53, 89, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा नम्बर :– 34 / 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इसफिसल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वकील वादीगण श्री दिनेश कुमार माली मुदई पुखराज चौधरी मिनजाविब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादग्रस्त आराजी मौजा नाडोल–1 तहसील–देसूरी की जमाबन्दी 849 संवत् 2073–76 के खसरा नम्बर 1107 क्षेत्रफल 0.9800 हैक्टर बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1115 क्षेत्रफल 03.5400 हैक्टर बारानी अव्वल कुल खसरा नम्बर 02 कुल क्षेत्रफल 04.5200 हैक्टर कुल देय लगान 31.64 रूपये का माफीक तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत बटवाडा प्रस्ताव व उसके सलंग्न नक्शानुसार वाद में अन्तिम डिक्री निम्न प्रकार सादिर की जाती है:–

क्र. स.	पक्षकार	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हैक्टर)	लगान	किस्म
1	वादी हिरालाल पुत्र मूलाराम सिरवी चौधरी सा. देह खातेदार	1115 / 1	1.4700	10.29	बा.अ.
2	प्रतिवादी हकाराम पुत्र मूलाराम सिरवी चौधरी सा. देह खातेदार	1115 / 2	1.4800	10.36	बा.अ
3	प्रतिवादी शेषाराम पुत्र मूलाराम सिरवी चौधरी सा. देह खातेदार	1107 1115 / 3	0.9800 0.5000	6.86 3.50	बा.अ.

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.13 18:42:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

कुल	2	1.4800 है	10.36	बा.अ
वादी हीरालाल 1/3 हिस्सा प्रतिवादी हकाराम 1/3 हिस्सा, शेषाराम 1/3 हिस्सा, सा.देह खातेदार	1115	0.0900	0.63	बा.अ.

उपरोक्तानुसार तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट व नजरी नक्शा को डिक्री का भाग माना जावें। तद्नुसार तहसीलदार देसूरी राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद एवं नक्शें में तरमीम करावें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **25** माह **जनवरी** सन् **2021** को जारी किया गया।

मोहर

(राजलक्ष्मी गहलोत)
उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायना	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहन फीस गवाहन फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्म नामा मिजान			स्टाम्प अर्जी स्टाम्प वकालत नामा महनताना वकील खर्चा वाहन फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्म नामा मुल्फरिक मिजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.13 18:42:32 IST
Reason: SelfAttested